सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 04 / 2017 अपील (RCMS/2017/00004)
पंजीयन दिनांक – 14.02.2017
निर्णय दिनांक – 03.07.2018

1. श्री भगवती लाल पिता श्री प्यारा जी खटीक, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती कंचन देवी पत्नि श्री भगवती लाल खटीक, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती किरण देवी पत्नि रामचन्द्र भांबी मार्फत सुन्दरलाल गोराना, आदर्श नगर, नगरपालिका कर्मचारी कॉलोनी, तहसील निम्बाहेडा।
2. श्री राधेश्याम पिता श्री गिरधारी लाल खटीक, निवासी कंधी मोहल्ला, कैंची चौराहा, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा।
3. श्री उदयलाल पिता जगन्नाथ चमार, निवासी अम्बानगर, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा।
4. श्री रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार, निवासी अम्बानगर, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा।
5. मु. संमदी बाई पुत्री जगन्नाथ चमार, निवासी अम्बानगर, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा। (विलोपित किया गया)
6. मु. मोहनी बाई पुत्री जगन्नाथ चमार, निवासी अम्बानगर, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा। (विलोपित किया गया)
7. नगर पालिका, निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा–राज.।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री संजय सेन — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 115/2015 प्रा.पत्र दिनांक 17.01.2017

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 115/2015 प्रा.पत्र दिनांक 17.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम, 1955 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा कासोद की नई खाता संख्या 122 की आराजी न. 568 रकबा 0.1700 हेक्टेयर लगान 1.19 रूपये भूमि स्थित है, जिसके गत सेटलमेन्ट में आराजी न. 410/385 रकबा 0.4200 एकड लगान 2.10 रूपये थे। यह भूमि अपीलान्ट संख्या—1 की खातेदारी व कब्जे काश्त में चले आ रही है। इसी प्रकार अपीलान्ट—2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की नई खाता संख्या 21 की आराजी न. 566 रकबा 164 आराजी न. 414/393/385 रकबा 0.800 एकड़ लगान 0.65 रूपये थी। यह दोनों आराजीयात अपीलान्टस् की खातेदारी व कब्जे काश्त की चले आ रही है। सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शा ट्रेस में प्रार्थी न. 1 की आराजीयात पूर्व दिशा में थी जिसके पुराने नम्बर 410/385 थे। नवीन नक्शा ट्रेस में इसको छोटा कर गलत रूप से तरमीम कर दिया जिसके नये नम्बर 568 है। इसी प्रकार अपीलान्ट—2 की आराजी सेटलमेंट पूर्व आराजी न. 414/393/385 उत्तर दिशा में थी, जिसे गलत तरमीम कर दक्षिण दिशा में बता दिया जहा की आराजी संख्या 565 है। उक्त गलत तरमीम के कारण राजस्व रेकार्ड में संशोधन बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.01.2017 पारित किया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित एवं

वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 03.07.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्टस् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त चली आ रही उपरोक्त आराजीयात का गलत तरमीम होने जिसमें न्यायहित में सुधार कराया जाना आवश्यक है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरित सरसरी तौर पर निर्णय करके प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रिपोर्ट पटवारी हल्का मय संशोधित शुद्धि प्रस्तावित राजस्व नक्शा एवं उस पर तहसीलदार द्वारा किये गये अंकन की कोई विवेचना नहीं की है और न ही इसे मानने या नहीं मानने का कोई कारण ही बताया जबकि रिर्पोट तथा अंकन में स्पष्ट रूप से शुद्धि किया जाना उचित बताया है। इस कारण निर्णय निरस्त कराये जाने योग्य है। अपीलान्ट की हाल आराजी न. 568 के वहा आराजी नण 605 नगरपालिका के नाम गलत दर्ज कर दी गई जबकि साबिक नक्शे में ऐसा नहीं है, परन्तु अदालत ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया। पत्रावली पर प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिर्पोट मय प्रस्तावित शुद्धि नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा किये गये अंकन के आधार पर पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कराया जाना सर्वथा उचित एवं न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.01.2017 अपास्त करा नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कराये जाने का आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया है।

दौराने कार्यवाही विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41, नियम 3 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण अपीलान्ट के खातेदारी आराजी के साविक के अनुसार हाल के नक्शा ट्रेस में तरमीम के सम्बन्ध है जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे एक्ट के तहत पेश किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 6 समंदी बाई एवं रेस्पोडेंट संख्या –7 मोहनी बाई अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षी थी परन्तु वो न तो अदालत में उपस्थित हुई और न कोई जवाब ही पेश किया क्योंकि उनका मामलें में कोई हित नहीं है। वो रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 की बहने होने से औपचारिक पक्षकार बना दिया जिसे अपील के शीर्षक से हटाना न्यायोचित होकर विलोपित किये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर हमने मनन किया गया, महज पडोसी होने से विपक्षी बनाया गया है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 6 समंदी बाई एवं रेस्पोडेंट संख्या –7 मोहनी बाई का नाम इस अपील विलोपित किया जाता है।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्टस् द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। पत्रावली पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की संशोधित रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें शुद्धि एवं नक्शा में तरमीम किया जाना उचित बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2017 पारित किये जाने दौरान उक्त रिपोर्ट एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेजों का उचित परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नक्शा ट्रेस, पटवारी हल्का एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट, पक्षकारों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का निर्णय दिनांक 17.01.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नक्शा ट्रेस, पटवारी हल्का एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट, पक्षकारों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर